



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाणिज्य विभाग

क्रं-अ.वि.वि.नि.लि / मु.अ. (वा.) / अ.अ.(वा.)/फा. 57 (डी)/2007/ प्रे. 5373 दिनांक 11/12/2007

आदेश

विषय:- “विद्युत अधिनियम-2003” में निहित प्रावधानानुसार प्रशमन राशि (Compounding charges) एवं सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की गणना कर नोटिस जारी करने के प्रपत्र (Format) में संशोधन।


विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी की समस्या से निदान पाने हेतु कई कानूनी प्रावधान किये गये हैं। इन कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानो (APTPS) की स्थापना भी कर दी गई है।

प्रथम बार बिजली चोरी का अपराध प्रशमन (Compoundable) योग्य अपराध है। इस संदर्भ में यदि कोई अपराध प्रशमन (Compoundable) योग्य है तो उसकी कम्पाउण्डिंग हेतु उस व्यक्ति को एक निर्धारित प्रपत्र में नोटिस दिया जाता है। पूर्व में निर्धारित प्रपत्र (Proforma) में सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की राशि दर्शाने हेतु कोई स्थान नहीं होने से इस राशि को नहीं दर्शाया जाता है। इसको माननीय विशिष्ट न्यायालय (Special Courts) के द्वारा अद्युरा मानते हुए उनके द्वारा भी सिविल लायबिलिटी की राशि का निर्धारण नहीं किया जाता है।

अतः उपरोक्त संदर्भ में विचार विमर्श करके वर्तमान में निर्धारित प्रपत्र में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। भविष्य में इस आदेश के साथ लगाये गये संशोधित प्रपत्र (Proforma) (अनुलग्नक-“अ”) में ही प्रशमन (Compounding) करने का नोटिस जारी किया जावे। मुख्य रूप से इस नोटिस में प्रशमन राशि के अलावा सिविल लायबिलिटी की राशि भी अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार - (प्रपत्र -“अ”)

आज्ञा से,


(एस. एल. धानका)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निर्देशक (वित्त) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/झुनझुनु ।
4. मुख्य लेखाधिकारी (), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एमएम), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम.....को.....अतिरिक्त प्रतिलिपियों अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
9. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. अधिशाषी अभियन्ता (), अजमेर डिस्कॉम.....
11. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (), अजमेर डिस्कॉम.....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक, जयपुर डिस्कॉम/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।

(एस.डी. आसुदानी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

अनुलग्नक-“अ”

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय जांच अधिकारी

क्रं- अजमेर डिस्कॉम / स.अ. /सर्तकता /एफ. / प्रे. दिनांक

नोटिस

प्रेषित,

श्री	पुत्र श्री	
ग्राम	तहसील/जिला	पुलिस थाना
खाता संख्या	वी.सी.आर. नं.	दिनांक
श्रेणी	सम्बद्ध भार	स्वीकृत भार

नाम जांच अधिकारी सहायक अभियन्ता /सतर्कता, अ.वि.वि.नि.लि.....।

आपके स्थित कृषि/घरेलु/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में दिनांक को सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निम्नांकित अपराध करना पाया गया:-

1. बिना वैध कनेक्शन के विद्युत का अनाधिकृत उपभोग।
2. मीटर के छेड़छाड़ कर अनाधिकृत उपभोग।
3. मीटर/केबिल/ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ व उसको नुकसान पहुंचाकर मीटरिंग को बाधित करना।
4. अन्य।

इस संबंध में सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या..... दिनांक तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

आपको इस नोटिस के माध्यम से आगाह किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अंतर्गत आपको, प्रथम अपराध के लिए, प्रशमन का अधिकार प्राप्त है, आप चाहें तो उक्त अपराध का प्रशमन कराने के लिए रु. जुर्माना राशि सात दिवस के भीतर सहायक अभियन्ता () अ.वि.वि.नि.लि. के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं अन्यथा आपके विरुद्ध सिविल लाइबिलिटी की राशि रूपये वसूल करने के लिए विशेष न्यायालय, विद्युत अपराध के माध्यम से नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जांच अधिकारी
(सतर्कता अधिकारी)

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता () अ.वि.वि.नि.लि.,

जांच अधिकारी